

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़
विकास अधिकारी निम्बाहेडा बनाम सीताराम

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम, 1994

किस्म मुकदमा निगरानी (पंचायत) नं० **048** सन् **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.08.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत गोदाला से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। ग्राम पंचायत गोदाला द्वारा जारी बुक संख्या 173 पट्टा संख्या 032 का अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर आया है कि उक्त निगराधीन पट्टे पर ग्राम पंचायत अंकित किया गया है कि “दिनांक 21.10.2019 की कोरम का निर्णय प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा पट्टा निरस्त किया गया” अंकित किया गया है। उक्त निगराधीन पट्टे का ग्राम पंचायत निरस्त कर चुकी है ऐसी स्थिति में पत्रावली निष्प्रभावी (Ineffective) हो चुकी है ऐसी स्थिति में पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। अहकाम की प्रति विकास अधिकारी निम्बाहेडा को सूचनार्थ भिजवाई जावें। ग्राम पंचायत गादोला से प्राप्त अभिलेख मय अहकाम के प्रति के लौटाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



-S/D-
(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़
02.08.2023